प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–03.05.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **05 वाहनों से मु0– 1800 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–11 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 02.05.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल– 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 40 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. राम केवल पुत्र राजमन नि0 झेलिया मौजा सुखुई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–127/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम व 02. सुन्दर खटिक पुत्र बाके खटिक नि0 दलपतपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–128/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल–

गोण्डा। शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्त– अजय गोस्वामी उर्फ बाबू पुत्र भगवानदास निवासी बेलवा सम्मय टेपरा मौजा सकरौरा ग्रामीण थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा को थाना को0 करनैलगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 174/19 धारा 498ए,304बी भा0द0वि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।

दिनांक 29.04.2019 को उक्त अभियुक्त द्वारा वादी मगन बिहारी पुत्र श्याम मोहन निवासी गोरियादासपुरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा की पुत्री को दहेज की बात को लेकर जान से मार कर घर मे ही फॉसी पर लटका दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को0 करनैलगंज पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें थाना को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 03.05.2019 को दबिश देकर उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

लड़की का अपहरण करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना को0 देहात पुलिस द्वारा लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त– विशाल वर्मा पुत्र रामप्रकाश निवासी मलारी को थाना को0 देहात जनपद गोण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0–482/18, धारा 363.366.504.506 भा0द0वि0 व 3(1)ध एस/एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 28.11.18 को थाना को0 देहात क्षेत्र की रहने वाली लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना को0 देहात पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें को0 देहात पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्त को सोनी गुमटी

के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।अपहृता को बरामद कर नारी निकेतन अभिरक्षा में भेजा गया।

बैरियर चेकिंग के दौरान 300 नग बियर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, वाहन भी बरामद–

जनपद में होने वाले लोक सभा चुनाव 2019 मतदान के दृष्टिगत जनपद की सीमाओं पर संदिग्ध व्यक्ति/वस्तुओं की सघन चेकिंग अभियान हेतु बैरियर लगाए गए थे, जिसके क्रम में आज दिनांक 03.05.19 को एसएसटी टीम को थाना खोडारे क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली। एसएसटी टीम द्वारा आज प्रातः मकोइया बैरियर पर चेकिंग की जा रही थी कि तभी एक चार पहिया वाहन मारुती सिलेरियो यूपी 51 एएन 0653 (सफेद रंग) को रोक कर जांच की गयी तो उसमे से 300 नग बियर बरामद हुई। जिसके सम्बन्ध में वाहन के ड्राईवर जगप्रसाद पुत्र संतराम निवासी संगवा थाना छपिया जनपद गोण्डा से पूछताछ की गयी तो वह बरामद 300 नग बियर के सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज दिखाने में असमर्थ रहा। एसएसटी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए 300 नग बियर व उक्त चार पहिया वाहन को जब्त कर जगप्रसाद उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोडारे पर मु0अ0सं0 72/19 धारा 60 आबकारी अधि0 व 207 एमवी एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल– 04 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

बरामदगी–

01. 300 नग बियर नाजायज के साथ एक अदद मारुति सिलेरियो वाहन।
02. 40 ली0 अवैध कच्ची शराब।